मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 599
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अपशिष्ट, कचरा और मल-जल का प्रबंधन

599. श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट, कचरा और मल-जल का प्रबंधन एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार अपशिष्ट और मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों को कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष का वर्षवार, शहरवार और राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की प्रगति का आकलन/मूल्यांकन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): कचरा, अपशिष्ट और सीवेज से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन -शहरी (एसबीएम-यू) और 25 जून, 2015 को 500 शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है।

चरण-I में जमीनी स्तर पर किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 1 अक्टूबर, 2026 तक

लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य सभी शहरों में सुरक्षित स्वच्छता और नगरपालिका के ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण करना है।

शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च किया गया है। अमृत 2.0 देश के 500 शहरों से लेकर सभी संविधिक कस्बों तक जलापूर्ति में सार्वभौमिक कवरेज को बढ़ाकर जीवन को आसान बनाएगा।

(ग): एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सा (सीएस) सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार के एमएसडब्ल्यू प्रबंधन संयंत्रों जैसे अपशिष्ट से खाद (डब्ल्यूटीसी), अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई), जैव-मीथेनेशन, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) और पुराने अपशिष्ट डंपसाइट निपटान आदि की स्थापना के लिए दी गई है। एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के लिए बजट प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

एसबीएम चरण	बजट परिव्यय	केंद्रीय हिस्सा
एसबीएम-यू (2014-2021)	62,009	14,623
एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)	1,41,600	36,465

एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0 के तहत केंद्रीय हिस्से की निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है, शहरों को नहीं। इसलिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में शहर-वार निधियों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इसके अलावा, एसबीएम-यू के तहत निधियां पूरे मिशन अवधि के लिए आवंटित की जाती है, न कि वार्षिक आधार पर।

अमृत के सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत 34,501 करोड़ रुपये की लागत वाली 889 परियोजनाओं की शुरू की गई है, जिनमें से 32,175 करोड़ रुपये के कार्य वास्तविक रूप से निष्पादित किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन क्षेत्र में अब तक 67,649 करोड़ रुपये की लागत वाली 592 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, जिसमें 6,739 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता का निर्माण/संवर्द्धन और 2,089 एमएलडी रीसाइकिल/पुनः उपयोग शामिल है।

राज्यों/यूएलबी को तकनीकी सहायता देने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणालियों तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मैनुअल जारी किए हैं और सीवेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के चयन के लिए विभिन्न परामर्शिकाए और दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण का काम भी नियमित रूप से किया जा रहा है।

(घ): इन योजनाओं की निगरानी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रगति पर प्रस्तुत की गई जानकारी की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा तथा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, शहरों में एसबीएम-यू के कार्यान्वयन में स्वच्छता की स्थिति तथा प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के माध्यम से एसबीएम-यू के अंतर्गत प्रतिवर्ष 'स्वच्छ सर्वेक्षण' सर्वे किया जाता है।

*****